5-9-2018

पत्रावली पेश हुई। वकलाय उभय हाजिर।
प्रकरण सं. 6/2017 मोतीराम वगैरा बनाम
कानाराम अंतर्गत धारा 251(A) में पारित
आदेश से प्रार्थीगण को उनकी सहखातेदारी
भूमि बालराई के ख.नं. 755 को सिंचित
करने के लिये ख.नं. 877/1 में से पाईप
लाईन निकालने के लिये अनुमत किया
जा चुका है। जिससे वादी के अनुतोष
अनुसार प्रतिवादीगण के विरुद्ध ग्राम बालराई
के ख.नं. 877/1 में से पाईपलाईन निकालने
से रोकने बाबत् सार्वकालिक निषेधाज्ञा
जारी नहीं की जा सकती। अतः वाद
वादी विरुद्ध प्रतिवादी ग्राम बालराई के
खसरा नंबर 877/1 के संबंध में सार्वकालिक
निषेधाज्ञा का अंतर्गत धारा 188

Scanned by CamScanner

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
खारिज किया जाता है। इसी कदर
डिग्री पर्चा जारी हो। मिसल
फैसल शुमार होकर नंबर से कटे।

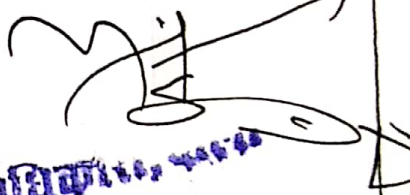

उप - खण्ड अधिकारी